महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Prof. Anand Patil
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
ई–मेल/E-mail: registrar@mgahv.in

क्रमांक : 006/Estt./MoE/2016/14/Vol.VIII(8)/ 802
दिनांक : 24.06.2025

परिपत्र

विषय:- एफआर 56(जे) एवं (एल) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 (i) (b) के अंतर्गत कर्मियों की सेवा समीक्षा से संबंधित [अब, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम - 42 के रूप में संशोधित]

संदर्भ : 1) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय अर्द्धशासकीय पत्रांक A.44011/14/2024-E.I, दिनांक 19-09-2024।
2) डीओपीटी ओएम संख्या 25013/01/2024-कार्मिक नीति ए-IV, दिनांक 27-06-2024।

शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त संदर्भित उपर्युक्त पत्र A.44011/14/2024-E.I, दिनांक 19-09-2024 तथा उसमें संदर्भित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के द्वितीय संदर्भित पत्र, जिसमें एफ.आर. 56(j) एवं (l) तथा सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 [जिसे अब सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 42 के रूप में संशोधित किया गया है], में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कर्मियों की सेवाओं की समीक्षा की प्रगति का उल्लेख किया गया है तथा जनहित में उन्हें सेवा में बनाए रखने अथवा समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। उक्त संदर्भित पत्र का विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी कृपया संज्ञान लें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्गत किया जाता है।

24/06/25

(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त स्थायी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक
3. अकादमिक निदेशक : क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज
4. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता
5. प्रभारी, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धपुर (अमरावती)
6. पुस्तकालयाध्यक्ष, महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय
7. कुलसचिव कार्यालय
8. परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)
9. अकादमिक विभाग
10. लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
11. रक्षित पत्रावली